न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 98/2023 GCMS No.—2019/00068
(पूर्व दर्ज नंबर 16/19)

जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री गोपीराम मीणा जाति मीणा उम्र करीब 55 साल, निवासी ग्राम भावपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री मूलचन्द मीणा निवासी दादीया पट्टी, धरमपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. पटवारी हल्का, मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. श्रीमान ए.डी.एम. (मुदांक) कलेक्ट्रेट बनीपार्क, जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बसिलसिले नामान्तकरण संख्या 296 आदेश दिनांक 11.04.2019 मातहत तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा खोला/भरा गया नामान्तकरण को अपास्त (सेट असाईड) व निरस्त किये जाने बाबत प्रतिवेदन।

———————

उपस्थितः–

1. श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राकेश कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 15.01.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 11.04.2019 जिससे नामान्तरकरण संख्या 296 वाके ग्राम भावपुरा, तहसील जमवारामगढ तस्दीक किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.05.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार पारीक उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 3 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी अपीलांट की माता सोनी देवी पत्नी स्व0 गोपीराम मीणा निवासी ग्राम भावपुरा, की खातेदारी 1/3 रिकार्डेड चली आयी थी तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिस पर अपीलांट शुरू से काबिज काश्त होकर अपने दत्तक पिता स्व0 गोपीराम के समय से चला आ रहा है। अपीलांट के पिता श्री गोपीराम मीणा का स्वर्गवास दिनांक 31.10.1968 को ग्राम भावपुरा में

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

होने के बाद उनके सारे किया कर्म, दाह संस्कार, आदि अपीलांट द्वारा किये गये एवं उनकी पगडी का दस्तुर अपीलांट को समाज की प्रथा व रीति रिवाज के अनुसार किया गया। अपीलांट को उनके दत्तक पिता के स्थान पर अनुकम्पा नौकरी के रूप से नौकरी कर रहा है। अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 1 अनूसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं अनूसुचित जनजाति सदस्यों में एवं परिवार में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (उपधारा 2) के तहत मीणा जनजाति के व्यक्तियों पर उक्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए स्व. सोनी देवी के देहांत के बाद उनके विरासत में छोडी गई सम्पत्ति के कानूनी वारिसान केवल मात्र अपीलांट ही है। मीणा जाति एवं अपीलांट के परिक्षेत्र में प्रचलित रूढी प्रथाओं व रीति रिवाज के अनुसार पुत्रीयों को पिता की सम्पत्ति में मालिकाना हक विरासत में प्राप्त नहीं होता है। अपीलांट द्वारा एक दावा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में बउनवानी जगदीश बनाम सोनी देवी प्रकरण संख्या 118/17 में स्थगन आदेश पारित किया गया। जिसके पश्चात रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा आदेश 39 नियम 4 सीपीसी की दरखास्त पेश जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा दिनांक 01.04.2019 को आदेश पारित कर फौती नामान्तकरण खोलने की सीमा तक स्टे आदेश निरस्त किया गया। उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश की गयी एवं न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.04.2019 की कियान्विति स्थगित रखने का आदेश दिया गया। जिसके बावजूद रेस्पा0 संख्या 1 ने रेस्पा0 संख्या 2 से मिलीभगत कर बिना किसी वारिसान की जांच कराये अपीलांट की माता सोनी देवी का फौती नामान्तकरण अपने नाम से तस्दीक करवा लिया एवं उसी दिन जमाबंदी में पालना हो गयी। अपीलांट सोनी देवी का दत्तक पुत्र था एवं मीणा जाति में लडकी की शादी के बाद पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था। तहसीलदार ने वारिसान प्रमाण पत्र ना तो पंचायत से लिया, ना ही वारिसो के संबंध में कोई जांच की गयी। अपीलांट के सभी सरकारी रिकॉर्ड में अपीलांट के पिता का नाम गोपीराम मीणा दर्ज है जिनसे स्पष्ट है कि अपीलांट सोनी देवी का दत्तक पुत्र है। इसलिए तहसीलदार द्वारा बिना जांच किये तस्दीक दिया गया अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2019 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 296 वाके ग्राम भावपुरा, तहसील जमवारामगढ को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **1966 RRD page 71, 2014(2) RRT page 901, RRT 2023(1) kamla neti vs Speciao L.A.o , 2024 RRT 73** आदि पेश किये।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं स्व. सोनी देवीके वारिसान के हक में तस्दीक किया है। रेस्पा0 संख्या 1स्व. सोनी देवी की एकमात्र जायन्दा पुत्री है जिनका भी अपने पिता की भूमि में हक अधिकार निहित है। अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं विधिक वारिसान के हक में ही तस्दीक किया गया जो निमयानुसार उचित है, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. लादूराम की विरासत के आधार पर उसके जायन्दा वारिसान के हक में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 296 वाके ग्राम भावपुरा, तहसील जमवारामगढ निर्णित दिनांक 11.04.2019 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार सोनी देवी पत्नी स्व0 गोपी हिस्सा 1/3 का विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक आदेश तहसीलदार दिनांक 02.04.2019, व उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.04.2019 व मृत्यु प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत सजरा के आधार पर भरा गया। जिसे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा आदेश दिनांक 11.04.2019 से तस्दीक किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति (मीणा) के सदस्य है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई भी कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. सोनी देवी के फौत होने पर उसकी खातेदारी भूमि का नामान्तकरण उसकी जायन्दा पुत्री के हक में तस्दीक किया गया है। न्यायालय हाजा के समक्ष उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अपीलांट स्व.सोनी देवी के दत्तक पुत्र है जिन्होनें स्व. गोपीराम के स्थान पर प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर राजकीय सेवा में रहे है एवं रेस्पा0 संख्या 1 स्व. सोनी देवी की एकमात्र जायन्दा पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. सोनी देवी की एकमात्र जायन्दा पुत्री के हक में वारिसान के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन प्रार्थना पत्र 80/17 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2019 के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 01.04.2019 से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन दावे की वर्तमान स्थिति के संबंध में भी कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अपीलांट द्वारा स्वयं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में दावा विचराधीन होने बाबत अपील मीमों में कथन किया है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलांट के हक, हकूक, अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन दावे में तय होंगें। माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 6091/2022 में पारित निर्णय 09.12.2022 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उत्तराधिकार के बिन्दु पर आदिवासी महिलाओ के हक, अधिकार आदिवासी पुरूष के समान माना है एवं केन्द्र सरकार को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो में संशोधन हेतु कथन किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्व. सोनी देवी पत्नी गोपीराम की खातेदारी भूमि से उसकी एक मात्र जायन्दा पुत्री रेस्पा0 संख्या 1 को केवल अनुसूचित जनजाति की महिला होने के आधार पर ही उसके हक अधिकार से वंचित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत के सजरा के आधार स्व0 सोनी देवी की एकमात्र जायन्दा पुत्री के हक में तस्दीक किया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर